# न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी, पाली

## पीठासीन अधिकारीः— श्री रोहिताश्व सिंह तोमर (आई.ए.एस.)

म्यूटेशन अपील संख्या 01/2017

**अपीलांटः—**

1. किरण कंवर पत्नि श्री सोहनसिंह, जाति रजपूत, उम्र 33 वर्ष, निवासी गांव कान्दरा, तहसील पाली, जिला पाली (राजस्थान)

**रेस्पोंडेंट्सः—**

1. ग्राम पंचायत हेमावास, जरिये सरपंच ग्राम पंचायत हेमावास, तहसील पाली,जिला पाली (राजस्थान)
2. सैणकंवर पत्नि भंवरसिंह उम्र 72 वर्ष
3. यशवंतसिंह पुत्र भंवरसिंह उम्र 40 वर्ष
4. मृतक दीपसिंह पुत्र भंवरसिंह के कानूनी वारिशान
   - 4/1 डिम्पल कंवर पत्नि दीपसिंह, उम्र 37 वर्ष
   - 4/2 राहुलसिंह पुत्र दीपसिंह, उम्र 12 वर्ष
   - 4/3 विशालसिंह पुत्र दीपसिंह, उम्र 8 वर्ष, नाबालिग जरिये कुदरती वली डिम्पल कंवर पत्नि दीपसिंह
5. रामकंवर पत्नि सवाईसिंह उम्र 64 वर्ष
6. कुलदीपसिंह पुत्र सवाईसिंह उम्र 33 वर्ष
7. महावीरसिंह पुत्र सवाईसिंह उम्र 30 वर्ष
8. किरणकंवर पुत्री सवाईसिंह उम्र 28 वर्ष
9. नारायणसिंह पुत्र सुगनसिंह, उम्र 58 वर्ष
10. देवीसिंह पुत्र सुगनसिंह, उम्र 55 वर्ष, तमाम जातिगण राजपूत, निवासीगण गांव कान्दरा, तहसील पाली, जिला पाली (राजस्थान)
11. शांतिदेवी पत्नि चेनसिंह, उम्र 58 वर्ष
12. सीतादेवी पत्नि वेरसिंह उम्र 52 वर्ष
13. इन्द्रादेव पत्नि कालुसिंह उम्र 50 वर्ष
14. मूलीदेवी पत्नि सवाईसिंह, उम्र 45 वर्ष जातिगण रजपूत, निवासीगण गांव कान्दरा, तहसील पाली, जिला पाली (राजस्थान)
15. भूमिधारी तहसीलदार, पाली राजस्थान

उपस्थितिः—

1. श्री पवल सिंघल, विद्वान अभिभाषक अपीलांट

**अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यु एक्ट बनाराजगी आदेश दिनांक 05.12.2011 जो ग्राम पंचायत हेमावास द्वारा म्युटेशन संख्या 880 के द्वारा पारित किया गया सपठित धारा 136 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यु एक्ट**

सहायक कलेक्टर
पाली

Scanned by CamScanner

**—:आदेश:—** दिनांक 28.02.2020

1. अपीलांट ने यह प्रार्थना—पत्र धारा 75 आर.एल.आर.एक्ट, 1956 एवं अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि सरहद मौजा काणदरा, पटवार हल्का मण्डली खुर्द, भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र पाली, तहसील पाली, जिला पाली मे खसरा नम्बर 189/2 रकबा 28 बीघा 13 बिस्वा, खसरा नम्बर 189/3 रकबा 12 बिस्वा किस्म नहरी दोयम कुल रकबा 29 बीघा 5 बिस्वा सालाना राजस्व लगान 29.25 रूपये स्थित है। उक्त भूमि दिनांक 05.12.2005 को भंवरसिंह, सवाईसिंह, नारायणसिंह, देवीसिंह पीसरान् सुगनसिंह हिस्सा 2/3 बहिस्सा बराबर जाति राजपूत एवं प्रेमसिंह पुत्र सुगनसिंह, जाति राजपूत हिस्सा 1/3 बतौर खातेदारी राजस्व रेकर्ड मे दर्ज थी प्रेमसिंह द्वारा अपने हिस्से की सम्पूर्ण भूमि के 1/3 हिस्से मे से 1/2 हिस्सा यानि सम्पूर्ण आराजी का 1/6 हिस्सा भूमि का बेचाण जरिये पंजीबद्ध विक्रय—विलेख के दिनांक 05.12.2005 को अपीलान्ट को किया गया तथा अपीलाण्ट को भौतिक रूप से प्रेमसिंह द्वारा कब्जा सुपुर्द किया गया। अपीलाण्ट का वक्त खरीद से लेकर आज दिन तक उसकी खरीद सुदा उपरोक्त वर्णित दोनो खसरान की 1/6 हिस्सा भूमि रकबा 4 बीघा 17 बिस्वा पर बतौर खातेदार कब्जा व काश्त लगातार आज दिन तक बिना किसी रोक टोक के चला आ रहा है। माफिक बेचाण अपीलाण्ट का नाम राजस्व रेकर्ड मे जरिये म्युटेशन संख्या 699 के द्वारा बतौर खातेदार के राजस्व रेकर्ड मे दर्ज किया गया जिसकी जमाबंदी की नकल तथा म्युटेशन संख्या 699 की नकल साथ पेश है। अपीलाण्ट द्वारा प्रेमसिंह से भूमि खरीदने के बाद अपनी खरीदुसदा कृषि भूमि का हस्तान्तरण जरिये बेचाण, बख्शीश इत्यादि रूप से रेस्पोडेण्ट संख्या 2 से 14 या अन्य किसी व्यक्ति को नहीं किया गया है और न ही कब्जा ही सुपुर्द किया गयाहै जिसके उपरान्त भी तत्कालीन हल्का पटवारी द्वारा रेस्पोडेण्ट संख्या 1 से 14 से मिलावट करके बाला बाला अपीलाण्ट का नाम राजस्व रेकर्ड से जैर अपील म्युटेशन के जरिये हटा दिया गया है और जैर अपील म्युटेशन आदेश पारित कर दिया गया है जबकि रेस्पोडेण्ट संख्या 1 को अपीलाण्ट का नाम राजस्व रेकर्ड से हटाने का कोई कानूनी हक एवं अधिकार नही था। रेस्पोडेण्ट संख्या 1 द्वारा जैर अपील म्युटेशन आदेश पारित करने से पूर्व अपीलाण्ट को सुनवाई का कोई अवसर प्रदान नही किया गया और बिना साक्ष्य एवं सबूत के ही अपीलाण्ट का नाम राजस्व रेकर्ड से हटाकर जैर अपील म्युटेशन आदेश पारित करने मे भारी विधिक भूल की गई है तथा विधि के प्रावधानो की अवहेलना की गई है जिससे आदेश जैर अपील काबिल खारिज के है। अपीलाण्ट को जैर अपील म्युटेशन आदेश पारित करने के बारे मे कोई जानकारी नही थी दिनांक 03.01.2017 को अपीलाण्ट पाली आई तथा राजस्व रेकर्ड की नकल जमाबंदी नियमानुसार निकलवाई गई। उस वक्त प्रथम बार अपीलाण्ट का नाम राजस्व रेकर्ड मे से नदारद होना पाया गया। जिस पर अपीलाण्ट का नाम राजस्व रेकर्ड मे से नदारद होना पाया गया। जिस पर अपीलाण्ट द्वारा विधिक सलाहकार से सलाह कर नियमानुसार म्युटेशन तथा राजस्व रेकर्ड की नकले प्राप्त की जिस पर अपीलाण्ट का नाम राजस्व रेकर्ड जैर अपील म्युटेशन के जरिये हटाने की प्रथम बार जानकारी हुई है इसलिये हाजा अपील अंदर अवधि पेश है तथा अपील पत्र के साथ धारा 5 म्याद अधिनियम का प्रार्थना पत्र पेश है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार फरमाई जावे तथा जैर अपील म्युटेशन संख्या 880 निरस्त फरमाया जाकर अपीलाण्ट का नाम पुनः राजस्व रेकर्ड मे दर्ज कराने का आदेश प्रदान करावें तथा खर्चा मुकदमा अपीलाण्ट को रेस्पोडेण्टस से दिलवाने का आदेश प्रदान करावें।

2. अपील Subject to limitaion दर्ज रजिस्ट्र कर रेस्पोंडेंट्स को जरिये सम्मन तलब किया गया।

Rahul

सहायक कलेक्टर
पाली

Scanned by CamScanner

3. बहस अपील उभयपक्ष की सुनी गई।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने निवेदन किया कि सरहद मौजा काणदरा, पटवार हल्का मण्डली खुर्द, भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र पाली, तहसील पाली, जिला पाली मे खसरा नम्बर 189/2 रकबा 28 बीघा 13 बिस्वा, खसरा नम्बर 189/3 रकबा 12 बिस्वा किस्म नहरी दोयम कुल रकबा 29 बीघा 5 बिस्वा स्थित है। उक्त भूमि दिनांक 05.12.2005 को भंवरसिंह, सवाईसिंह, नारायणसिंह, देवीसिंह पसिरान् सुगनसिंह हिस्सा 2/3 बहिस्सा बराबर जाति राजपूत एवं प्रेमसिंह पुत्र सुगनसिंह, जाति राजपूत हिस्सा 1/3 बतौर खातेदारी राजस्व रेकर्ड मे दर्ज थी प्रेमसिंह द्वारा अपने हिस्से की सम्पूर्ण भूमि के 1/3 हिस्से मे से 1/2 हिस्सा यानि सम्पूर्ण आराजी का 1/6 हिस्सा भूमि का बेचाण जरिये पंजीबद्ध विक्रय–विलेख के दिनांक 05.12.2005 को अपीलान्ट को किया गया तथा अपीलाण्ट को भौतिक रूप से प्रेमसिंह द्वारा कब्जा सुपुर्द किया गया। अपीलाण्ट का वक्त खरीद से लेकर आज दिन तक उसकी खरीद सुदा उपरोक्त वर्णित दोनो खसरान की 1/6 हिस्सा भूमि रकबा 4 बीघा 17 बिस्वा पर बतौर खातेदार कब्जा व काश्त लगातार आज दिन तक बिना किसी रोक टोक के चला आ रहा है। माफिक बेचाण अपीलाण्ट का नाम राजस्व रेकर्ड मे जरिये म्युटेशन संख्या 699 के द्वारा बतौर खातेदार के राजस्व रेकर्ड मे दर्ज किया गया। अपीलाण्ट द्वारा प्रेमसिंह से भूमि खरीदने के बाद अपनी खरीदुसदा कृषि भूमि का हस्तान्तरण जरिये बेचाण, बख्शीश इत्यादि रूप से रेस्पोडेण्ट संख्या 2 से 14 या अन्य किसी व्यक्ति को नहीं किया गया है और न ही कब्जा ही सुपुर्द किया गयाहै। जिसके उपरान्त भी तत्कालीन हल्का पटवारी द्वारा रेस्पोडेण्ट संख्या 1 से 14 से मिलावट करके बाला बाला अपीलाण्ट का नाम राजस्व रेकर्ड से जैर अपील म्युटेशन के जरिये हटा दिया गया है और जैर अपील म्युटेशन आदेश पारित कर दिया गया है जबकि रेस्पोडेण्ट संख्या 1 को अपीलाण्ट का नाम राजस्व रेकर्ड से हटाने का कोई कानूनी हक एवं अधिकार नही था। रेस्पोडेण्ट संख्या 1 द्वारा जैर अपील म्युटेशन आदेश पारित करने से पूर्व अपीलाण्ट को सुनवाई का कोई अवसर प्रदान नही किया गया और बिना साक्ष्य एवं सबूत के ही अपीलाण्ट का नाम राजस्व रेकर्ड से हटाकर जैर अपील म्युटेशन आदेश पारित करने मे भारी विधिक भूल की गई है तथा विधि के प्रावधानो की अवहेलना की गई है अपीलाण्ट को जैर अपील म्युटेशन आदेश पारित करने के बारे मे कोई जानकारी नही थी । दिनांक 03.01.2017 को अपीलाण्ट पाली आई तथा राजस्व रेकर्ड की नकल जमाबंदी नियमानुसार निकलवाई गई। उस वक्त प्रथम बार अपीलाण्ट का नाम राजस्व रेकर्ड मे से नदारद होना पाया गया। जिस पर अपीलाण्ट का नाम राजस्व रेकर्ड मे से नदारद होना पाया गया। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार फरमाई जावे तथा जैर अपील म्युटेशन संख्या 880 निरस्त फरमाया जाकर अपीलाण्ट का नाम पुनः राजस्व रेकर्ड मे दर्ज कराने का आदेश प्रदान करावें तथा खर्चा मुकदमा अपीलाण्ट को रेस्पोडेण्टस से दिलवाने का आदेश प्रदान करावें।

5. सरकारी पैरोकार तहसीलदार पाली ने बहस मे निवेदन किया कि जमाबंदी सवंत् 2067 से 2070 के खाता संख्या 15 मे किरण कंवर पत्नि सोहनसिंह 1/6, प्रेमसिंह पुत्र सुगनसिंह 1/6 दर्ज है। अगली जाबंदी संख्या 2071 से 2074 के खाता संख्या 195 मे लिपिकीय त्रुटी से उक्त हिस्सा छूट गया जो अशुद्धि को शुद्ध किया जावें।

6. बहस पर मनन किया गया पत्रावली पर उपलब्ध करवाये गये अभिलेख का ध्यान–पूर्वक अवलोकन किया गया। सरहद मौजा काणदरा, पटवार हल्का मण्डली खुर्द, भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र पाली, तहसील पाली, जिला पाली मे खसरा नम्बर 189/2 रकबा 28 बीघा 13 बिस्वा, खसरा नम्बर 189/3 रकबा 12 बिस्वा किस्म नहरी दोयम कुल रकबा 29 बीघा 5 बिस्वा स्थित है। उक्त भूमि दिनांक 05.12.2005 को भंवरसिंह, सवाईसिंह, नारायणसिंह,

सहायक कलेक्टर
पाली

Scanned by CamScanner

देवीसिंह पीसरान् सुगनसिंह हिस्सा 2/3 बहिस्सा बरावर जाति राजपूत एवं प्रेमसिंह पुत्र सुगनसिंह, जाति राजपूत हिस्सा 1/3 बतौर खातेदारी राजस्व रेकर्ड मे दर्ज थी। प्रेमसिंह द्वारा अपने हिस्से की सम्पूर्ण भूमि के 1/3 हिस्से मे से 1/2 हिस्सा यानि सम्पूर्ण आराजी का 1/6 हिस्सा भूमि का बेचाण जरिये पंजीबद्ध विक्रय–विलेख के दिनांक 05.12.2005 को अपीलान्ट को किया गया। अपीलाण्ट का वक्त खरीद से लेकर आज दिन तक उसकी खरीद सुदा उक्त कृषि भूमि दोनो खसरान की 1/6 हिस्सा भूमि रकबा 4 बीघा 17 बिस्वा पर बतौर खातेदार कब्जा व काश्त लगातार आज दिन तक चला आ रहा है। तथा सरकारी पैरोकार ने भी अपनी बहस मे निवेदन किया कि जमाबंदी सवंत् 2067 से 2070 के खाता संख्या 15 मे किरण कंवर पत्नि सोहनसिंह 1/6, प्रेमसिंह पुत्र सुगनसिंह 1/6 दर्ज है। अगली जाबंदी संख्या 2071 से 2074 के खाता संख्या 195 मे लिपिकीय त्रुटी से उक्त हिस्सा छूट गया जो अशुद्धि को शुद्ध किया जावें।

7. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलांट द्वारा प्रस्तुत धारा 5 लिमिटेशन एक्ट के प्रार्थना–पत्र को स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा करते हुए अपील आंशिक स्वीकार की जाकर इस आदेश के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि मौजा काणदरा, पटवार हल्का मण्डली खुर्द, भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र पाली, तहसील पाली, जिला पाली मे खसरा नम्बर 189/2 रकबा 28 बीघा 13 बिस्वा, खसरा नम्बर 189/3 रकबा 12 बिस्वा किस्म नहरी दोयम कुल रकबा 29 बीघा 5 बिस्वा सालाना राजस्व लगान 29.25 रूपये स्थित है। उक्त भूमि दिनांक 05.12.2005 को भंवरसिंह, सवाईसिंह, नारायणसिंह, देवीसिंह पसिरान् सुगनसिंह हिस्सा 2/3 बहिस्सा बराबर जाति राजपूत एवं प्रेमसिंह पुत्र सुगनसिंह, जाति राजपूत हिस्सा 1/3 बतौर खातेदारी राजस्व रेकर्ड मे दर्ज थी प्रेमसिंह द्वारा अपने हिस्से की सम्पूर्ण भूमि के 1/3 हिस्से मे से 1/2 हिस्सा यानि सम्पूर्ण आराजी का 1/6 हिस्सा भूमि का बेचाण जरिये पंजीबद्ध विक्रय–विलेख के दिनांक 05.12.2005 को अपीलान्ट को किया गया तथा अपीलाण्ट को भौतिक रूप से प्रेमसिंह द्वारा कब्जा सुपुर्द किया गया। जमाबंदी सवंत् 2067 से 2070 के खाता संख्या 165 मे भंवरसिंह सवाईसिंह नारायणसिंह देवीसिंह पि. सुगनसिंह हि. 2/3 ब.हि.ब राजपूत किरण कंवर पत्नि सोहनसिंह 1/6 जाति रजपूत प्रेमसिंह पुत्र सुगनसिंह 1/6 जाति राजपूत सा. दहे खातेदार रहन देवीसिंह पुत्र सुगनसिंह व सवाईसिंह का हिस्सा रहन एम जी बी ग्रामीण बैंक डेण्डा ना . स. 719,727 दर्ज है। तथा अगली जमाबंदी संवत् 2071 से 2074 के खाता संख्या 195 के खसरा नम्बर 28.13 मे अपीलाण्ट का नाम दर्ज है परन्तु उक्त जमाबंदी मे लिपिकीय त्रुटि से 189/3 का इन्द्राज होना लिपिकीय त्रुटी से उक्त हिस्सा छूट गया जो खसरा नम्बर 189/2 एवं खसरा नम्बर 189/3 मे किरण कंवर पत्नि सोहनसिंह 1/6 जाति रजपूत प्रेमसिंह पुत्र सुगनसिंह 1/6 जाति राजपूत सा. दहे खातेदार नाम जोड़ कर अशुद्धि को शुद्ध किया जाने का तहसीलदार, पाली को आदेश दिया जाता है। तहसीलदार, पाली को तहरीर के साथ माफिक आदेश पालना करने हेतु प्रेषित किया जावे। बाद पालना पत्रावली फैसल में शुमार होकर दाखिल दफ्तर की जावे।

Rahul
सहायक कलेक्टर
पाली

यह आदेश आज दिनांक 28.02.2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Rahul
सहायक कलेक्टर
पाली

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Rohitashva Singh Tomar
Date: 2020.03.19 15:47:24 IST
Reason: SelfAttested
Location: